सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : करण सिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 39/2011

1. इन्द्र सिंह
2. काका सिंह पिसरान गुदड सिंह जाति रायसिख, साकिन 4 पी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– अपीलार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र गुदड सिंह जाति रायसिख, साकिन बाण्डा कॉलोनी, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. मंगत सिह पुत्र इन्द्रो बाई पुत्री गुदड सिंह (मंगत सिंह पुत्र तारा सिंह) जाति रायसिख, साकिन 16 केएनडी, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
3. पालो पुंत्री इन्दों पत्नि तारासिह जाति रायसिख, साकिन रोजड़ी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
4. गूंगा पुत्री इन्द्रों पत्नि तारासिंह जाति रायसिख, साकिन रोजड़ी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध इंत. संख्या 470/10.12.2010 नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट

उपस्थित :

1. श्री ओम प्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री राजकुमार नागपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस सं0 2
3. एक पक्षीय कार्यवाही , रेस्पोडेंट संख्या 01,03 एवं 04
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 5

आदेश दिनांक 18.06.2015

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि सुहागोबाई पत्नि गुदड सिंह के नाम 4 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं 32 के किना नं 13/11, 14 ता 25/12 मुरब्बा नं 54 के किला नं 1/0.202, 2/0.228, 3/0.228, 4/0.228, 5/0.202, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 0/0.253, 11/0.114, 14/0.253, 15/0.228 में 2.923 है0 तथा कुल रकबा 6.086 है. रकबा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज था तथा खुद द्वारा अर्जित रकबा उसके नाम से था। अपने जीवन काल में उक्त रकबा अपने तीनो पुत्रों के नाम से दिनांक 24.04.99 को अपनी इच्छा एवं रजामंदी से बन्द वसीयत कर दी थी। वसीयत के आधार पर अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 01 हकदार हुए। मृतक इन्द्रों बाई का जमीन में कोई हक नही था। इन्द्रोंबाई की मृत्यु के उपरांत, उसके वारिसान रेस्पों संख्या 2 से 4 क्रमशः मंगत सिह, पालो बाई एवं गूगा द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुने रेस्पो0

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

सं0 1 इन्दिरो बाई के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश एकपक्षीय पारित कर दिया। सुहागो बाई की खुद अर्जित भूमि थी, जिसकी वसीयत करने का उसे पूरा हक एवं अधिकार था। दिनांक 24–4–99 को बंद वसीयत की गई थी, जो मृत्यू के उपरांत दिनांक 27–12–10 को खुलवाई जाकर पंजीबद्व की गई थी। अपीलांट आवश्यक पक्षकार था, जिसे बिना सुनवाई का विधिवत् नोटिस दिये, बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल नियमों की पालना नहीं की गई है। आदेश पारित करने से पूर्व काब्जा काश्त की रिपोर्ट नहीं ली गई और न ही मौका देखा गया। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल सं0 470 दिनांक 10–12–10 को निरस्त कर वसीयत दिनांक 24–4–99 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन इंतकाल दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है जबकि सुहागोबाई ने अपने जीवनकाल में ही बंद वसीयत कर दी थी। बंद वसीयत को खोलने से पूर्व ही इंतकाल दर्ज कर दिया गया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार था, जिसे सुना नहीं गया है। एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 सं0 2 मंगतराम के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अपीलाधीन भूमि स्वअर्जित नहीं है। उतराधिकार से प्राप्त हुई है। इन्दरोबाई का 1/5 हिस्सा है। अपने हिस्से की सीमा तक वसीयत करने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील खारिज की जावे।

रेस्पो0 सं0 1–3–4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही प्रभावशील है।

रेस्पो0 सं0 5 स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि ए0सी0एम0 द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 21–4–1986 को देखा जाना चाहिये। इन्दरोबाई का हिस्सा 1/5 है, उसी सीमा तक वह वसीयत करने की अधिकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलकृत इंतकाल के कॉलम सं0 7 में मु0 सुहागोबाई बेवा गुदड़सिंह जाति जटसिख अंकित है। कॉलम सं0 9 के अनुसार सुहागोबाई के देहान्त होने पर मृत्यू प्रमाण पत्र दिनांक 2–5–99 के आधार पर वारिसान के नाम से इंतकाल खोला जाकर स्वीकृत किया गया है जबकि सुहागोबाई द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 24–4–99 को बंद वसीयत कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत इंतकाल पारित करने से पूर्व वसीसत को अनदेखा किया गया है साथ ही अपीलांट जो प्रभावित पक्षकार था, को विधिसम्मत् नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही सुनवाई का अवसर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

दिया गया है, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ए0सी0एम0, श्री गंगानगर द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री 21–4–86 को ध्यान में रखा गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई प्रतीत होती है। अतः प्रकरण में पुनः जॉच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत इंतकाल अस्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, बंद वसीयत दिनांक 24–4–99, ए0सी0एम0 का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–4–86 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ मूल रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–7–15 को उपस्थित हों।

आदेश आज दिनांक 18–6–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/15

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर (राज.)